श्री दामोदर व्यास आवेदक स्वंय द्वारा दिनांक 31-12-18 को प्रस्तुत।

न्यायालय–श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 / 18–19 अ0मा0 अपील-0002/2019/मुरैना/भू.रा. 31-12-18

दामोदर व्यास पुत्र श्री रामरतन व्यास जाति ब्रा0 निवासी ग्राम विण्डवा देवगढ तह0 जौरा जिला मुरैना म0प्र0 ....अपीलांट

प.दि. 9-1-19

बनाम

म0प्र0शासन द्वांरा कलेक्टर जिला मुरैना म0प्र0 ....रेस्पो0

<u>अपील विरूद्ध न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय चम्वल संभाग मुरैना के प्र0क0 150 / 15–16 अ0मा0 में पारित आदेश दिनांक 22.10.18 के।</u>

श्रीमान जी,

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक अपील 0002/2019/मुरैना/भू0रा0

दामोदर व्यास विरूद्ध म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनाक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-5-2019	अपीलार्थी दामोदर स्वयं उपस्थित। अपीलार्थी को कायमी के बिन्दु पर सुना गया। 2/ अपीलार्थी द्वारा अपील अपर आयुक्त चम्बर संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 150/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 22-10-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 3/ प्रकरण का अवलोकन किया। अपीलार्थी दामोदर ने ग्राम विण्डवा देवगढ की वन विभाग की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 71 एवं 72 कुल किता 2 कुल रकवा 12.40 आरे मं से 3.15 आरे की नोईयत से परिर्तित कर काबिल कास्त किये जाने हेतु आवेदन दिया। कलेक्टर मुरैना ने विधिवत जांच एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत अपने आदेश दिनांक 21-5-2015 में यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी वन विभाग की भूमि का कब्जे के आधार पर नोईयत परिवर्तन चाहता है जबकि अतिकामक को शासकीय भूमि के नोईयत परिवर्तन का कोई वैधानिक स्वत्व नहीं होने से आवेदन निरस्त किया। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। फलस्वरूप यह अपील प्रथमदृष्टया ही आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर0के0 जैन) सदस्य 08/5/19	